

आदेश

श्रीमती इन्दिरा देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर जिनकी जन्मतिथि 17.01.59 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 19.12.87 के द्वारा राज्य सेवा में अपनी 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.01.2019 को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-5A

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/सी-2 पार्ट-1/सेवानिवृत्ति/2019/130 दिनांक:- 31-1-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालाखेडा (अलवर)।
5. डीपीसी (नर्सिंग) अनुभाग मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर